भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1801

01 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना के तहत घरों का विद्युतीकरण

1801. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों का पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश भर में घरों के विद्युतीकरण के लिए किसी नई परियोजना का अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2024 तक) के दौरान देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) से (छ) : भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की। सौभाग्य के अंतर्गत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक अविद्युतीकृत घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया था। देश के कुल 2.86 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। राज्य-वार घरेलू विद्युतीकरण और वितरित अनुदान के विवरण **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर दिए गए है।

भारत सरकार उन अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को सहयोग दे रही है, जो सौभाग्य के अंतर्गत छूट गए थे।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए चिन्हित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) घर आरडीएसएस के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

सौभाग्य स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

(i) दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बिखरे हुए घर।
(ii) कठिन एवं पहाड़ी इलाके, खराब मौसम, नदी/दलदली/बर्फ से ढके क्षेत्र।
(iii) खराब/अपर्याप्त विद्युत अवसंरचना।
(iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित स्थान।
(v) वन क्षेत्र - मंजूरी की आवश्यकता।
(vi) स्थानीय स्तर पर सामग्री (जैसे पोल, वितरण ट्रांसफार्मर, मीटर, आदि) की अनुपलब्धता।
(vii) विभिन्न राइट ऑफ वे मुद्दे.

(ज) और (झ) : आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त घर) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण (तमिलनाडु सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिए गए है।

लो.स.अतारां.प्र.सं.1801

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2024 तक) के दौरान देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (जून तक)
कुल उत्पादित विद्युत	1,491,859.37	1,624,465.61	1,739,091.19	484,000.61

लो.स.अतारां.प्र.सं.1801

अनुबंध-II

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से घरों का राज्यवार विद्युतीकरण, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम सं.	राज्यों का नाम	दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2022 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	2,326,656
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ	792,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045
10	झारखंड	1,730,708
11	कर्नाटक	383,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922
15	मणिपुर	108,115
16	मेघालय	200,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	139,516
19	ओडिशा	2,452,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	2,127,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	515,084
26	त्रिपुरा	139,090
27	उत्तर प्रदेश	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290
कुल		**28,613,424**

*सौभाग्य के तहत वित्तपोषित नहीं

लो.स.अतारां.प्र.सं.1801

अनुबंध-III

राज्य-वार वितरित अनुदान का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	**राज्यों के नाम**	**सौभाग्य के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान**
1	अरुणाचल प्रदेश	160
2	असम	705
3	बिहार	491
4	छत्तीसगढ	379
5	हरियाणा	8
6	हिमाचल प्रदेश	2
7	जम्मू एवं कश्मीर	51
8	झारखंड	284
9	कर्नाटक	48
10	केरल	66
11	लद्दाख	-
12	मध्य प्रदेश	554
13	महाराष्ट्र	218
14	मणिपुर	91
15	मेघालय	206
16	मिजोरम	41
17	नागालैंड	54
18	ओडिशा	323
19	पंजाब	1
20	राजस्थान	305
21	सिक्किम	2
22	तेलंगाना	17
23	त्रिपुरा	267
24	उत्तर प्रदेश	1,815
25	उत्तराखंड	50
26	पश्चिम बंगाल	169
	कुल	**6,305**

लो.स.अता.प्र.सं.1801

अनुबंध-IV

आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त घर) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण (तमिलनाडु सहित) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य के नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए में)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपए में)	कुल संस्वीकृत घर	दिनांक 18.07.2024 तक विद्युतीकृत घर
क.	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत अतिरिक्त घर**				
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959	62,160
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	68.94	62.04	13,715	0
4	नागालैंड	65.10	58.59	10,398	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	11,384
7	झारखंड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	14.96	13.46	1,936	0
9	बिहार	119.57	71.74	21,658	0
10	असम	785.55	706.99	1,27,111	0
	कुल (क)	**2,936.75**	**2,173.12**	**6,84,112**	**73,544**
ख.	**वाइब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	3,536	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	**39.34**	**35.40**	**6,373**	
ग.	**आरडीएसएस के अंतर्गत पीएम-जनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण**				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	22,245
2	छत्तीसगढ	38.17	22.90	7,077	3,172
3	झारखंड	53.39	32.03	9,134	0
4	मध्य प्रदेश	136.07	81.65	27,358	7,517
5	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	8,556
6	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	9,815
7	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	811
8	केरल	0.86	0.52	345	303
9	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,781
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,862
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	2,367
12	उत्तराखंड	0.41	0.37	221	667
13	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	157
	कुल (ग)	**487.63**	**311.15**	**1,23,530**	**64,253**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**3,463.72**	**2,519.67**	**8,14,015**	**1,37,797**
